~~सेवामें,~~

श्रीमान् तहसीलदार महोदय
सिरोही

विषयः जमाबंदी में संशोधन बाबत्।

2558/4 ✓

महोदय,

निवेदन है कि मैं महेन्द्रसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह जाति–राजपूत निवासी–वेरापुरा पटवार हल्का–मांकरोडा तहसील–सिरोही में निवासरत हूँ। खातेदारी जमीन खाता संख्या–9 में खसरा संख्या–116,122,129 से 139 कुल खसरा–13 का कुल क्षेत्रफल 11.3900 हैक्टर है। जिसमें मेरा हिस्सा 1/5 है। जबकि ऑनलाईन जमाबंदी रिपोर्ट के अनुसार मेरा हिस्सा 2/15 दर्शाया हुआ है, जो गलत है। इस सन्दर्भ में दिनांक 25.8.2019 को श्रीमान् की सेवा में प्रार्थना पत्र व दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

UR 16.10.19

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि इस सन्दर्भ में ऑनलाईन जमाबंदी रिपोर्ट में संशोधन की कार्यवाही करवाने का कष्ट करावें।

संलग्न–पूर्व जमाबंदी नकल की प्रति
भूमि प्रमाण पत्र
वर्तमान ऑनलाईन जमाबंदी रिपोर्ट की प्रति

भवदीय,

दिनांक–16–10–2019

(महेन्द्रसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह)
गांव–वेरापुरा पोस्ट–मांकरोडा
पटवार हल्का–मांकरोडा
तह. व जिला–सिरोही
मोबाईल नम्बर–9461254716

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) सिरोही

क्रमांक/भू.अ./2019/2127 दिनांक 16-10-19

मूल ही पटवारी हल्का पाडीव को भेजकर लेख है कि प्रार्थना-पत्र की जाँच कर जाँच रिपोर्ट आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए दो दिन में पेश करें। पूर्व में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2019/1680 दिनांक 27-8-19 के जरिये भी आपसे इस सम्बन्ध में जाँच रिपोर्ट चाही गई थी जो अभी तक पेश नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में रिपोर्ट समय पर पेश नहीं करने पर आपको व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जायेगा।

PA Gen File

तहसीलदार (भू०अ०) सिरोही

मूल ही लौयक(निवेदन है कि प्रकरण में गत. जमाबंदी (सेटलमेशन से पूर्व की जमाबंदी) के दौरान नामान्तरकरण संख्या - 82/5-8-16 स्वीकृत हुआ है जिसके जरिये ~~उक्त खातदार~~ - गत जमाबंदी संवत 2073-2076 के खाता नं. 10 में खातेदार कृषक लालसिंह, नखतसिंह, अरविन्दसिंह पि० अमरसिंह, पवनकंवर पत्नि अमरसिंह के द्वारा उक्त प्रार्थी महेन्द्रसिंह पुत्र भोपालसिंह जा० देवपुरा के पक्ष में हकत्याग करने से उक्त प्रार्थी ~~श्री~~ महेन्द्रसिंह पुत्र भोपालसिंह का खाता सं.10 किता=13 रकबा 11.39 हेक्टेयर में कुल हिस्सा 1/5 दर्ज हुआ। जिसके अनुरूप सेटलमेशन के बाद जमाबंदी में ~~श्री~~ महेन्द्रसिंह का हिस्सा 1/5 दर्ज होना चाहिये था। परन्तु त्रुटीवश उपरोक्त हकत्यागकर्ता लालसिंह, नखतसिंह, अरविन्दसिंह पि. अमरसिंह, पवनकुंवर पत्नि अमरसिंह का हिस्सा $\frac{1}{60}+\frac{1}{60}+\frac{1}{60}=\frac{1}{15}$ पुन: वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 9 में उक्त हकत्यागकर्ता का कुल हिस्सा $\frac{1}{15}$ दर्ज हो गया है जो त्रुटीवश गलत दर्ज हुआ है। ~~अत~~

अत: वर्तमान जमाबंदी में क्रमशः क्रमसं. 2, 17, 31, 43 पर दर्ज खातेदार, अरविन्दसिंह पि. अमरसिंह $\frac{1}{60}$, नखतसिंह पुत्र अमरसिंह मु. पवनकुंवर पत्नि अमरसिंह हि० 1/60, लालसिंह पुत्र अमरसिंह हि० 1/60 जाते का हिस्सा 1/15 के स्थान पर क्रमांक-36 पर दर्ज महेन्द्रसिंह पुत्र भोपालसिंह हि० $\frac{2}{15}+\frac{1}{15}=\frac{1}{5}$ हिस्सा दर्ज किया जाना अपेक्षित है। रिपोर्ट वास्ते आवश्यक कार्यवाही सादर प्रस्तुत है।

(हस्ताक्षर)
02/12/19
पटवारी (भू.अ.) मांकरोड़ा
तहसील-सिरोही (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) सिरोही

क्रमांक/भू०अ०/2019/2642 दिनाँक 5.12.19

प्रेषित :-

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सिरोही

कोर्ट
5/12/19

विषय :- जमाबंदी में हिस्सा दुरुस्ती का आदेश जारी कराने के क्रम में।

प्रसंग :- पटवारी हल्का मांडवाड़ा द्वारा पेश जाँच रिपोर्ट दिनाँक 02.12.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी श्री महेन्द्रसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी केरापुरा द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि मेरी खातेदारी कृषि भूमि ग्राम केरापुरा में चालू जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के खाता सं०-10 में मेरा हिस्सा 1/5 अंकित था। परन्तु सेम्पीजेशन जमाबंदी के दौरान खाता सं०-9 में मेरा क्रम सं. 36 पर अंकित मेरे नाम के आगे हिस्सा 1/5 के स्थान पर हिस्सा 2/15 दर्ज हुआ है जो गलत है। इस बाबत पटवारी हल्का से जाँच रिपोर्ट मंगवायी गई जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार चालू जमाबंदी सम्वत 2073-2076 के मध्य खाता सं०-9 में क्रम सं० 2, 17, 31 व 43 पर अंकित खातेदारों का नाम व हिस्सा विलोपित करते हुए इन सभी का कुल हिस्सा 1/15 प्रार्थी के नाम के आगे अंकित हिस्सा 2/15 में सम्मिलित कराते हुए उनका हिस्सा 1/05 (पांचवा हिस्सा) दर्ज होना चाहिए।

अतः माफिक पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार हिस्सा शुद्धि की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर पेश है।

तहसीलदार (भू०अ०) सिरोही

संलग्न :-

(1). उपरोक्तानुसार मूल पत्रादि

1680

न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

क्रमांक: कोर्ट/2019/2528 दिनांक 26 –12 –2019

राजस्व प्रा.पत्र. संख्या 126/2019................

तहसीलदार सिरोही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 2642 दिनांक 4-12-19 के संलग्न ग्राम वेरापुरा के प्राप्त प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड जमाबंदी दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित होने से राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर तहसीलदार सिरोही को पुनःमूल प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड के भेजकर आदेश दिये जाते है कि प्रस्तावानुसार अपक्षित राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.27 18:09:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: